

छत्तीसगढ़ शासन  
श्रम विभाग  
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर,

कार्यालय, श्रम आयुक्त  
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर  
आवक 121  
दिनांक 29 JAN 2014  
शारदा

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 23/01/2014

क्रमांक एफ 10-3/2014/16 :- "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 1998 (नियोजन तथा सेवा शर्त-विनियमन) के नियम 2(g) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक F 10-03/2013/16 दिनांक 28.06.2013 द्वारा नियुक्त उपकर निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

Devy. Bolw.  
30/1/14



(जी0आर0मालवीय)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग  
रायपुर, दिनांक 23/01/2014

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 10-3/2014/16

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.),
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ.ग.),
3. सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001.
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ.ग.),
5. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.),
7. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर, (छ.ग.),
8. समस्त कलेक्टर जिला- .....(छ.ग.),
9. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर, (छ.ग.),
10. कल्याण आयुक्त, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.),
11. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ.ग.),
12. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.....(छ.ग.),

//2//

13. उपसंचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.....(छ.ग.),
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका .....(छ.ग.),
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत .....(छ.ग.),
16. उपसंचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां मंडल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग